

भारत का राजपत्र
The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—प्रखण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 62] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 1972/साघ 12, 1893

No. 62] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 1972/MAGHA 12, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 1st February 1972

S.O. 79(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 5-Customs, dated the 1st January, 1972, namely:—

In the said notification, in paragraph 2, for the figures, letters and word, "31st January, 1972, the figures, letters and word "29th February, 1972", shall be substituted.

[No. 26/F. No. 555/99/71-LCL.]

M. G. ABROL, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1972

का० आ० 79(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'केन्द्रीय सरकार' अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और सीमा विभाग) की तारीख 1 जनवरी, 1972 की अधिसूचना सं० 5-सीमा-शुल्क में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, "31 जनवरी, 1972" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, "29 फरवरी, 1972" अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 26/का० सं० 555/99/71-एल० सी०]

एम० जी० अब्दुल, संयुक्त सचिव।